Under the Private Sector Scheme a letter of Intent has been issued to a private entrepreneur to set up such facilities at km. 82 between Hyderabad and Vijayawada on NH 9. The entrepreneur has not so far furnished the detailed drawings for Ministry's approval.

सूती धागे का मूल्य स्थिर किया जाना

1764. **श्री इकबाल सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तैयार किये गये सूती धागे के मूल्यों को घटाने और स्थिर करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) सूती यार्न (हैंक और कोन यार्न दोनों) की मासिक औसत कीमतों में इस वर्ष के आरंभ से ही गिरावट आने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों को बंद किया जाना

1765. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषरूप से मध्य प्रदेश में, बंद पड़ी हुई कपड़ा मिलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या मिलों को पुनरुज्जीवित करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) 31-5-1996 तक की स्थिति के अनुसार आई डी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूती मानव निर्मित फाइबर मिल बंद नहीं पड़ी है। 141 मिलें तालाबन्दी, हड़ताल तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण अस्थायी रूप से बंद पड़ी थीं तथा 37 मिलें व्यासमापन के अंतर्गत बंद थीं। मध्य प्रदेश में बंद मिलों की संख्या 9 थी।

(ख) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के कार्यसंचालन की जांच करने तथा उनके पुनर्जीवन के लिए यथोचित योजनाएं बनाने तथा उनकी स्वीकृति देने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Programmes for Development of Major Ports

1766. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to implement massive programmes for the development of Paradeep and other Major Ports during the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, the details of the developmental activities proposed to be undertaken in Paradeep and other Major Ports during that Plan period;

(c) the estimated cost of those projects;

(d) whether some of those projects are proposed to be implemented by Private sectors; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): (a) to (c) Yes, Sir. However, no details are available since the 9th Five Year Plan has not yet been finalised.

Separate Human Rights Courts in all States and Union Territories

1767. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any directives have been issued by Government to all States and Union Territories for setting up of separate Human Rights Courts;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of States which have accepted the directives and the States which are yet to give their consent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) Section 30 of the Protection of Human Rights Act, 1993 provides for specifying a Court of Sessions in each district to be a Human Rights Court to

try offences arising out of violation of human rights. It is upto the State Governments to decide as to the need for setting up of Human Rights Courts, with the concurrence of the High Courts.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जल संसाधनों का उपयोग

1768. **श्री अजीत जोगी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े और मध्यम बांधों के माध्यम से जल संसाधनों का उपयोग करने की वर्तमान प्रणाली समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सिंचाई हेतु अन्य सस्ते विकल्पों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (घ) देश में जल संसाधन विकास में वर्तमान नीति विकल्पों के मिश्रण पर आधारित है जिसमें बड़े, मध्यम और लघु सतही जल भण्डारण तथा व्यपवर्तन परियोजनाएं, सरकारी क्षेत्र में गहरे नलकूपों के जरिए भूजल विकास तथा निजी/सहकारी क्षेत्र में उथले नलकूप/खुले कुएं, परिस्रवण टैंकों (परकोलेशन टैंक) सहित लघु पैमाने पर सतही भंडारण तथा माइक्रो जल विभाजक विकास स्कीमें शामिल हैं। भंडारण जलाशय, भूजल विकास और जल विभाजक (वॉटरशेड) विकास प्रत्येक का अपना स्थान है और सभी विकल्पों के न्यायोचित मिश्रण से ही देश में जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सकेगा।

विखंडनीय समाग्री के उत्पादन पर एक पक्षीय प्रतिबंध

1769. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका तथा अन्य देशों की विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर एक पक्षीय प्रतिबंध के संबंध में भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस निर्णय की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) से (ग) सरकार का यह मानना है कि एक ऐसी संधि एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य को लेकर बनाए गए चरणबद्ध सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण दृष्टिकोण का अंग होनी चाहिए जो बहुपक्षीय आधार पर की गई बातचीत के माध्यम से सम्पन्न की गई हो; सार्वभौमिक आधार पर लागू हो और भेदभाव-रहित हो तथा जो नाभिकीय शस्त्र प्रयोजन के लिए विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाती हो। सरकार ऐसा कोई सुझाव स्वीकार नहीं कर सकती कि भारत अपनी ओर से इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगाए। सरकार इस संबंध में एक सिद्धान्तगत तथा सुसंगत नीति पर चलती रही।

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु विदेशी सहायता

1770. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु वर्ष 1995 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के अंतर्गत अब तक कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है तथा मरम्मत किए जाने वाले राजमार्गों के नाम क्या-क्या हैं एवं उन देशों के नाम क्या-क्या हैं, जिनसे यह सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) जिन अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को इस समझौते के अंतर्गत लाने हेतु कार्यवाही की गई है, उनके नाम क्या-क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2, 5, 8 और 24 के सुधार के लिए वर्ष 1995 के दौरान एशियाई विकास बैंक के साथ 245 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के एक ऋण समझौते, ओवरसीज इकोनामिक को-आपरेशन फंड (ओ ई सी एफ) के अंतर्गत जापान सरकार के साथ 10663